

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006/चैत्र 17, 1928(शक)

संख्या- 142

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री हरशरण सिंह बल्ली, श्री सुभाष सचेदवा श्री दयानन्द चन्दीला को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 29.03.2006 को अप.5.00 बजे, रिंग रोड, राजौरी गार्डन, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 5.40 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 07th April 2006/17Chaitra 1928

No. 142

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, West Distt.Delhi

"I have the honour to inform you that Shri H.S. Balli, Shri Subhash Sachdeva and Shri Daya Nand Chandela, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Ring Road, Rajouri Garden, Delhi at 5.00P.M. on 29.3.2006.

They were released at 5.40P.M. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary